

प्रस्तावित भू-उपयोग कार्यालय से सम्बन्धित

गजरौला महायोजना-2031 प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों पर प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	सुनवाई की तिथि	आ०सं०	आवेदनकर्ता का नाम	पता	आपत्ति
1	06.12.2021 03:30 बजे	34	श्री हरीश नागपाल पुत्र श्री रामदास नागपाल मोबा०-9675812125	निवासी- रेलवे स्टेशन रोड़, गजरौला, तहसील धनौरा जिला अमरोहा, हाल निवासी- रोड़ नम्बर 73, वेस्ट पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली-110026	आपत्तिकर्ता की भूमि दरियापुर तहसील धनौरा गाटा सं०-375/0.182, 374/0.182, 376/0.130, 368/0.028, 373/0.024, हैक्टे० 05 किते रकबा 0.546 हैक्टे व गाटा सं०- 1 रकबा 372/0.308 हैक्टे० श्रेणी-1 क संक्रमणीय एवं ग्राम चौबारा तहसील हसनपुर जिला अमरोहा की भूमि गाटा सं०-1 रकबा 57/4.278 हैक्टे० का भागानुसार 58/0.265, 59/1.080, 70/1.4610 हैक्टे० का भागानुसार को मानचित्र मे कार्यालय दर्शाया गया है, जो कि वर्तमान में गतिविधियों एवं प्रमाणों के अनुसार गलत है। जिस पर निम्न आपत्तियां है। 1. उक्त समस्त गाटाओं पर मालिक व काबिज है। 2. उक्त भूमि एन०एच०-09 से सटी हुई है। तथा सभी गाटाओं पर व्यवसायिक प्रयोग हो रहे है। 3. आपत्तिकर्ता की उक्त भूमि पर वर्ष 2006 से होटल संचालित है। 4. मेरीटन होटल एवं हवेली रेस्टोरेन्ट के नाम से सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। 5. व्यवसायिक मानचित्र एम०डी०ए० से नक्शा सं०-10/2020 पास कराया गया है। 6. एवं 7 व्यवसाय संचालन हेतु एन०एच०ए०आई० की स्वीकृति व रेस्टोरेन्ट/होटल का फूड लाईसेन्स लिया गया है। 8. आपत्तिकर्ता की भूमि के सामने अनेको होटल, शोरूम, व पेट्रोल पम्प संचालित है। जो महायोजना-2031 में थोक व्यवसायिक दर्शित है। 9. व 10. आपत्तिकर्ता की भूमि के दांयी एवं बाई तरफ व्यवसायिक गतिविधि संचालित है। 11. आपत्तिकर्ता द्वारा होटल संचालन हेतु विद्युत कनेक्शन लिया गया है। 12. उक्त भूमि पर संचालित व्यवसाय का आयकर जी०एस०टी० व अन्य करों का भुगतान आवेदक कर रहा है। 13. आपत्तिकर्ता संचालित व्यवसाय का जिला पंचायत अमरोहा का टैक्स जमा कर रहा है। 14. आपत्तिकर्ता की उक्त भूमि को एस०डी०एम० धनौरा द्वारा वाद सं०-33/2006 धारा 143 ज०वि० एवं उत्तर प्रदेश भूमि अधिनियम के द्वारा अकृषक/व्यवसायिक भेमि घोषित की जा चुकी है। वर्तमान स्थिति पर पुनः विचार करते हुए महायोजना-2031 के मानचित्र में उक्त भूमि की स्थिति मौके अनुसार व्यवसायिक रूप में संशोधन करने का आपत्तिकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है।

2	06.12.2021 03:30 बजे	125	पारूल, पप्सी, कल्पना पुत्रियां श्री मदनपाल सिंह, श्री यतेन्द्र सिंह पुत्र श्री चनद्रपाल सिंह, आदित्य सिंह पुत्र श्री मदनपाल सिंह, श्रीमती सोमवती पत्नी श्री रविन्द्र सिंह एवं श्रीमती शान्ति पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह मोबा0-9897406203, 7599102143	निवासीगण- ग्राम सलारपुर, तहसील धनौरा जिला अमरोहा।	एन0एच0-09 पर स्थित ग्राम दरियापुर बुजुर्ग स्थित गाटा सं0-390 क्षेत्रफल 1.732 है0 भूमि महायोजना-2031 के मानचित्र में कार्यालय संकेतिका प्रदर्शित किया गया है। जबकि उक्त भूमि पर 21 वर्षों से पेट्रोल पम्प स्थापित एवं संचालित है। साथ ही गाटे की भूमि पर रेस्टोरेन्ट, स्कूटी एवं ई-रिक्शा एजेन्सी वर्तमान में चल रही है। उक्त भूमि मूल कृषक श्री लहरी सिंह पुत्र स्व0 श्री नौ सिंह की मृत्यु उपरान्त 05 वारिस हैं। वारिसानों को छोटे-छोटे अंशों के रूप में भूमि प्राप्त हुई है। प्रश्नगत भूमि व्यवसायिक है तथा सभी वारिसान अपने-अपने व्यवसाय कर रहे हैं। आवेदक द्वारा उक्त गाटे की भूमि को महायोजना 2013 के मानचित्र में व्यवसायिक/आवासीय भूमि की श्रेणी में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
3	06.12.2021 03:30 बजे	250	श्री आकाश गर्ग पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग एवं श्रीमती कंचन गर्ग पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग मोबा0-9927026184	निवासी- लक्ष्मी नगर, गजरौला जिला अमरोहा।	भूमि खसरा न0-257 रकबा 1.126 है0 ग्राम अलीपुर भूड शुमाली एन0एच0-51 गजरौला पर स्थित है। महायोजना-2031 में उक्त भूमि का भू-उपयोग कुछ हिस्सा कार्यालय के रूप में दर्शाया गया है। परन्तु वर्तमान में उस स्थान पर संस्थान पेट्रोल पम्प, पी0एल0 पेट्रो प्रोडक्ट्स, नायरा एनर्जा संचालित है। जबकि उक्त भूमि-2015 में परगना अधिकारी धनौरा के आदेश के अनुसार धारा-145/गैरकृषि/व्यवसायिक में घोषित करा ली थी, आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को आवासीय/व्यवसायिक में अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
4	06.12.2021 03:30 बजे	337	श्री गौरव सिंद्धू पुत्र श्री रणवीर सिंह मोबा0-9917439696	निवासी- ग्राम धनौरी माफी तहसील धनौरा, जिला अमरोहा।	भूमि सं0-377 क्षेत्रफल 0.265 है0 ग्राम दरियापुर बुजुर्ग तहसील धनौरा जनपद अमरोहा की भूमि को महायोजना-2031 में प्रश्नगत भूमि को कार्यालय संकेतिका में प्रदर्शित किया गया है। जबकि प्रश्नगत स्थल पर व्यवसायिक/आवासीय गतिविधियां विद्यमान है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को व्यवसायिक/आवासीय भूमि अंकित करने का अनुरोध किया गया है।